विदेशी निवेशकों के लिए अब ऑनलाइन एमओयू

सहूलियत

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

यूपी सरकार देशी-विदेशी निवेशकों की सहूलियत के लिए अब ऑनलाइन एमओयू व्यवस्था करने जा रही है। इससे एमओयू की प्रक्रिया आसान होगी और निवेशकों को निवेश परियोजना जमीन पर उतारने में सहूलियत होगी।

औद्योगिक विकास विभाग ने इस संबंध में तैयारी कर ली है। तय समय में एमओयू हस्ताक्षर कराने के लिए स्टैंडर्ड आपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। निवेशक की जरूरतों को राज्य सरकार तेजी से समझकर उसका निपटारा जल्द कर सकेगी। कोरोना काल में यूपी सरकार के प्रयासों से अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके व जर्मनी आदि देशों ने निवेश के प्रस्ताव भेजे। तभी ऑनलाइन एमओयू सिस्टम की जरूरत महसूस हुई।

निवेशकों को यह करना होगा

- इन्वेस्ट यूपी के पोर्टल पर फाइल इन्वेस्टमेंट इन्टेंट के तहत पजीकरण होगा
- पासवर्ड मिलेगा, इसके जरिए निवेश प्रस्ताव पोर्टल पर जमा करना होगा

एमओयू हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया का मानकीकरण करना, विभिन्न स्तरों पर एमओयू का कार्यान्वयन प्रगति की निगरानी करना, निवेशकों व राज्य सरकार के विभागों को एक ही इंटरैक्टिव प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना है। सुविधा व श्रेष्ठतर लक्ष्य के लिए निवेशकों की सुविधा व आवश्यकताओं को चिन्हित करना भी प्रमुख काम है। एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल के जरिए विभागों के साथ आनलाइन संचार के लिए निवेशकों को एक विकल्प प्रदान करना भी इसका मकसद है।

इन्वेस्ट यूपी परीक्षण के साथ निवेश प्रस्ताव की मैपिंग करेगा

नए एमओयू हस्ताक्षरित करने के वेब आधारित व्यवस्था के तहत राज्य सरकार के प्रत्येक संबंधित विभाग द्वारा एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। केवल 50 करोड़ से ऊपर के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू के लिए हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इन्वेस्ट यूपी प्राथमिक परीक्षण के साथ-साथ निवेश प्रस्ताव की मैपिंग करेगा। जरूरत पड़ने पर निवेशक से सवाल करेगा और शर्तें तय करेगा। विभाग को निवेश प्रस्ताव को खारिज करना है तो उसे अनिवार्य रूप से बताना होगा कि क्यों खारिज किया गया है। प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद संबंधित अधिकारियों व निवेशक के डिजिटल स्कैन किए गए हस्ताक्षरों से युक्त एमओयू सृजित होगा।